FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

ओमाराम वगैरा बनाम ठाकराराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० याचिका नं. 63/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/02/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 05/04/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
05/04/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। सम्मान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इलतवा होकर आगामी दिनांक 06/07/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

06/07/21

पत्रावली पेश हुई व मुलाहिजा पक्षकार उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तजार हाकम दिनांक 07/09/21
को पेश होवे

07/09/21

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये। प्रार्थी वकील द्वारा डिलेवर्ड रसीद पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि संख्या-लिट आई हुई है प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य जो पुरानी मार्ग व कोठे कायम हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी का कथन खेत के सेढों का ज्ञान करने हेतु नक्शमवंती करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नक्शमवंती आवेदन स्वीकार किया जाकर नक्शमवंती आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नक्शमवंती आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आयस्वयं

म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्री नेमअवजी मोर्ड पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर कर पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली मेयल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	
	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

वाद / 2021 / 1178 दिनांकः– 07/09/2021

स्व आवेदन संख्या –63 / 2021

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. जोगाराम पुत्र पीराराम वगैरा जाति जाट, नि. रतेउ पटवार मण्डल रतेउ तहसील गिड़ा (बाड़मेर)		1. ठाकराराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा. जाति जाट, नि. रतेउ पटवार मण्डल रतेउ तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – रतेउ, पटवार मण्डल – रतेउ, तहसील – गिड़ा, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नं. 975 / 33 रकबा 5.5604 हैक्टयर, खसरा नम्बर 977 / 33 रकबा 0.1294 हैक्टयर, तथा मौजा पटालीनाडी पटवार रतेउ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर खसरा नं. 1123 / 894 रकबा 4.7429 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1179 to 83 दिनांकः– 07/09/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

2. तहसीलदार गिड़ा
3. पटवारी हल्का रतेउ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी श्री जोगाराम पुत्र पीराराम वगैरा 3
5. विप्रार्थी श्री ठाकराराम पुत्र लिछमणाराम वगैरा. 41
6. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु